(343) 15

बिहार राज्य . . .रिवहन निगम

परिवहन भवन, वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पत्रांक - SE (OP) Misc-67/2004 1305 /पटना, दिनांकः-21/04/2017

सेवा में

प्रमंडलीय प्रबंधक,
बिहार राज्य पथ परिवहन निगम,
पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर,
दरभंगा, पूर्णियाँ एवं छपरा।

विषयः निगम एवं JnNURM योजना मद में प्राप्त बसों में दिव्यांगजनो एवं जे०पी० सेनानियों को पास निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि निगम के द्वारा दिव्यांगजनो एवं जे०पी० सेनानियों को क्रमशः रियायती एवं मुफ्त पास की सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

निगम द्वारा दिनांक--01.05.2017 से इस योजना को लागू किया जाना है। इस योजना को सफलतापूर्वक कार्यरूप देने हेतु निम्नांकित अनुदेश दिया जाता है :-

1. दिनांक-27.04.2017 से 30.04.2017 तक प्रमंडलों में विशेष कैम्प कर दिव्यांगजनो तथा जे०पी०सेनानी को बस यात्रा पास निर्गत करेंगे ;

2. दिव्यांगजन को पास निर्गत करने के पूर्व उनके दिव्यांगता प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड/ मतदाता पहचान पत्र की छाया प्रति के साथ--साथ जन्म तिथि का प्रमाण पत्र दो स्टाम्प आकार का रंगीन फोटो प्राप्त कर प्रमाण--पत्रो की मूल प्रति से मिलान करेंगे।

3. दिव्यांगजनो को 0--50 किलोमीटर के खंड पर बस यात्रा की मुफ्त सुविधा दी जायेगी। परन्तु इससे अधिक दूरी की यात्रा पर 50% रियायत पर यात्रा सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

4. दिव्यांगजनों की न्यूनतम 40% दिव्यागता पर ये सुविधा देय होगा।

5. जे०पी० सेनानी को गृह विशेष विभाग से निर्गत परिचाय पत्र की छाया प्रति, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र एवं जन्मतिथि का प्रमाण पत्र की छाया प्रति प्राप्त कर उनके मूल प्रति से मिलान करेंगे।

6. प्रमंडलीय प्रबंधक/प्रतिष्ठान अधीक्षक सभी संवाहक को संलग्न प्रपत्र की आपूर्ति करेंगे। जिसमें बस परिचालन के दौरान संवाहको द्वारा यात्रा करने वाले दिव्यांगजनो/जे०पी० सेनानियों के नाम एवं पास यूनिक संख्या की प्रविष्टि कर दिव्यागजन एवं जे०पी० सेनानी का हस्ताक्षर प्राप्त करेंगे।

7. दिव्यांगजनो/जे०पी० सेनानी को निर्गत पास की Scanned प्रति मुख्यालय को bsrtcreports@gmail.com पर भेजना सुनिश्चित करेंगे।

F:\...\Letter.docx 153

[348]

अतः निदेश है कि पारा निर्गत करने की प्रक्रिया में किसी प्रकार की असुविधा विधायगजीनो एवं जे०पी० रमानी को न हो इसका विशेष ख्याल रखेंगे।

अनु० - यथोक्त

विश्वासभाजन

21/4/17

प्रशासन मुख्य

ज्ञापांक- 1305 / पटना, दिनांक 21/04/2017

प्रतिलिपि—मुख्य लेखा पदाधिकारी / सभी प्रतिष्ठान अधीक्षक, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/4/17

प्रशासन मुख्य